न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–652/2015

मु0 पार्वती देवी.....वादिनी

बनाम

केदार भगत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.11.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख आवेदक रामनारायण साह की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.07.2022 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। आवेदक रामनारायण साह की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** आवेदक रामनारायण साह की ओर से दिनांक 05.07.2022 को आदेश 01 नियम 10(2) एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद मौजा–शिकारपुर अंचल नरकटियागंज स्थित खाता–371 की विभिन्न खेसराओं की कुल 02 बिगहा 13 धुर भूमि में से 1/8 हिस्से का दावा करते हुये लाया गया है। वादग्रस्त खाता–371 की भूमि हालसर्वे खतियान सुनरमन भगत के नाम दर्ज है। सुनरमन भगत के दो लडके बालगोविन्द भगत एवं धनई भगत हुये। बालगोविन्द भगत के चार लडके एवं चार लडकियाँ है। जिनमें एक लडकी वादिनी पार्वती देवी है। मु0 पार्वती देवी द्वारा वादग्रस्त बंटवारा की भूमि में से खाता–371 खेसरा–68 एवं 69 की 02 धुर 10 धुरकी भूमि आवेदक रामनारायण साह को अपने निजी आवश्यकतावश तय जरसमन प्राप्त कर निबंधित बयनामा दस्तावेज सं0–12284 दिनांक 18.12.2015 को विक्रय कर दिया तथा दखल कब्जा दे दिया। आवेदक को स्थानांतरित रकबे की भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी सं0–02 सुरज भगत द्वारा अपने लडके के नाम दिखावटी बक्ख्शीशनामा निष्पादित किया गया है। वादिनी द्वारा आवेदन को इस वाद में पक्षकार बनाना चाहिए। क्योंकि आवेदक इस वाद में आवश्यक पक्षकार है तथा न्यायहित में उन्हें पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदक रामनारायण साह को पक्षकार बनाने की कृपा किया जाय। प्रतिवादी सं0–01 ता 07 की ओर से आवेदक रामनारायण साह के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 21.09.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदक रामनारायण साह का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य है।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–652/2015

मु0 पार्वती देवी.....वादिनी

बनाम

केदार भगत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.11.2023	वादिनी द्वारा वाद लंबन के दौरान खेसरा–68 एवं 69 की 02 धुर 10 धुरकी जमीन आवेदक के पक्ष में लिखने की बात कही जा रही है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण को निबंधित बक्खशीशनामा के माध्यम से प्राप्त है। जिस पर बक्खशीशदार के हैसियत से सुरज भगत के पुत्रों का रिहायसी घर है तथा जिस पर दखल कब्जें में चले आ रहे है। खेसरा–68 एवं 69 की भूमि पर मु0 पार्वती देवी का कोई हकियत एवं कब्जा नही था। लेहाजा उनके द्वारा निष्पादित दस्तावेज दिनांक 18.12.2015 के आधार पर आवेदक रामनारायण साह को कोई हकियत एवं कब्जा नही मिला। अतः आवेदक इस वाद के आवश्यक पक्षकार नही है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद खाता–371 की विभिन्न खेसराओं की कुल 02 बिगहा 13 धुर भूमि के बंटवारा हेतु दाखिल किया है तथा आवेदक को भी वादिनी के द्वारा खाता–371 की खेसरा–68 एवं 69 की 02 धुर 10 धुरकी भूमि निबंधित विक्रय विलेख द्वारा विक्रय किया गया है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में निबंधित विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अतः आवेदक भी प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में आवेदक रामनारायण साह का आवेदन दिनांक 05.07.2022 को स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक रामनारायण साह का नाम नियमानुसार जोडे। वाद दिनांक 11.12.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	